संख्या:29/2023/1061ई-2/तेरह-2023-1704826

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई, 2023

विषय:-मेसर्स एलियांज डिस्टिलरी लि., खसरा नं. 677-690, ग्राम-बहरावली, छाता शेरगढ़ रोड, मथुरा में 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की ग्रेन पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: जी-09/दो-प्रा.डी.-267 दिनांक 11-04-2023 व पत्र संख्या:जी-47/दो-प्रा.डी.-267/मे. एलियांज डिस्टलरी दिनांक 21-06-2023 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 27-06-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 11-04-2023 एवं 21-06-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स एलियांज डिस्टिलरी लि., खसरा नं. 677-690, ग्राम-बहरावली, छाता शेरगढ़ रोड, मथुरा द्वारा 100 कि.ली प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 330 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की अनाज पर आधारित औद्योगिक आसवनी, जिसके अन्तर्गत अब्सोल्यूट अल्कोहल (एथनॉल) का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्पादन करते समय निम्नलिखित शर्तों का भी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(क) इकाई द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा

(ख) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(ग) प्रश्नगत इकाई द्वारा अनाज से एथनाल, ई.एन.ए. उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4) (छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(घ) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आसवनी पर अद्यतन कोई सरकारी राजस्व बकाया न हो।

(ड.) इकाई द्वारा उत्पादन करते समय गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) इकाई में स्थापित किये जा रहे एथनाल संचय टैंकों पर मासफ्लो मीटर एवं राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर लगाया जायेगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**राकेश कुमार सचान**)
उप सचिव

संख्याः (1)ई-2/तेरह-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(4) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन।
(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ.प्र. शासन।
(7) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ.प्र. शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**राकेश कुमार सचान**)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।